प्रेस नोट
दिनांक 25.10.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक शुक्रवार परेड का किया निरीक्षण, शारीरिक दक्षता विकसित कराने हेतु लगवायी दौड़–

आगामी त्यौहारों (धनतेरस, दिवाली, छठपूजा) के दृष्टिगत अराजक तत्वों/ उपद्रवियों से निपटने के लिए जवानों से अश्रु गैस, ग्रिनेट, रबड़ बुलेट, मिर्ची बम आदि चलवाकर करवाया बलवा ड्रिल का अभ्यास तथा बलवाइयों से निपटने हेतु दिए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 25.10.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली गयी तथा परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात महोदय द्वारा शारीरिक दक्षता विकसित करने हेतु परेड को दौड़ लगवायी। तत्पश्चात महोदय द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था सुदृढ़ रखने तथा आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के दृष्टिगत दंगा नियंत्रण उपकरणों के प्रशिक्षण/अभ्यास का आयोजन किया गया।

प्रशिक्षण/अभ्यास के दौरान महोदय द्वारा विभिन्न शस्त्रों एवं दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन का परीक्षण किया गया तदोपरान्त फोर्स को ब्रीफ करते हुए बताया कि सदैव मानसिक एवं शारीरिक रूप से तत्पर रहें एवं दंगा नियंत्रण के समस्त उपकरण सक्रिय दशा में सदैव अपने साथ रखे जिससे कि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटा जा सके। भीड़ के आकस्मिक एकत्रित होने अथवा किसी घटना विशेष के होने से उत्पन्न हुए रोष से लोगों के अवैधानिक रूप से एकत्रित होने तथा बलवा करने से उत्पन्न हुई स्थिति को नियन्त्रित करने तथा बलवाईयों को तितर–बितर करने के लिए एन्टी रायट ड्रिल का फोर्स द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इस दौरान ड्यूटी में दंगा निरोधी उपकरणों से लैस होकर रहेगें ताकि यदि कोई असामाजिक तत्व सौहार्द एवं शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो पुलिस की तैयारी के मद्देनजर उसका प्रयास विफल हो और स्थिति सामान्य रहे।

अभ्यास के दौरान पुलिसकर्मियों में से ही बलवाई बने लोगों (भीड़) को तितर बितर करने हेतु बलवा ड्रिल के अंतर्गत कार्यवाही करायी गयी तथा पुलिसकर्मियों को दंगा नियंत्रण उपकरण रबर बुलेट गन, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, टीयर स्मोक सेल, टियर ग्रेनेड आदि शस्त्रों के सम्बन्ध मे जानकारी दी गयी एवं बलवा ड्रिल का डिमॉस्ट्रेशन कराया गया तथा प्रयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी अवगत कराया गया तथा दंगा नियत्रंण हेतु अमल में लाये जाने वाले सभी विधिक प्रावधानों एवं टैक्टिक्स का क्रमवार अभ्यास किया गया।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसार निरीक्षक, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष आदि मय पुलिस फोर्स मौजूद रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 25.10.2024

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से अवैध रूप से असलहा बनाने वाले अपराधी को हुई 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000/– रू0 के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप अभियुक्त शिवमूरत सिंह पुत्र अवधराज सिंह नि0 बनगांव थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश श्री राजबहादुर रामदेव यादव द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 24.02.2010 को थाना तरबगंज पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में अवैध असलहा फैक्ट्री का भण्डाफोर करते हुए अभियुक्त शिवमूरत सिंह पुत्र अवधराज सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री दानबहादुर सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, थाना तरबगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश श्री राजबहादुर रामदेव यादव द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 22,000/– रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. शिवमूरत सिंह पुत्र अवधराज सिंह नि0 बनगांव थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–56/2010, धारा 307 भादवि, 3/5/25 आयुध अधि0, 07 आपराधिक विधि संशोधन अधि0 व 3(1) उ0प्र0 गिरोधबन्ध अधि0 थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।